Most Immediate/Vidhan Sabha Matter

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (COORDINATION BRANCH) 2nd Floor, ISBT Complex Kashmere Gate, Delhi-110006.

F.No.34 (06)/Coord./Misc./DWCD/24-25/21489-92

Date

2 7 MAR 0025

To

The Deputy Secretary (Questions), Legislative Assembly Secretariat, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi - 110054.

Subject: Reg. Submission of Response to Unstarred Question 250

Respected Sir/Madam,

I am directed to submit, herewith, 100 copies (01 Original & 99 photo copies) of the reply to the following Unstarred Question for your kind reference:

Unstarred Question: 250

Additionally, a soft copy of the reply is being provided in a pen-drive.

The reply has been duly approved by the Hon'ble Chief Minister, Delhi.

This issues with the approval of Secretary, DWCD.

Encl: as Above.

Sincerely,

(SYMPHONY)

Assistant Director (Coord.)

F.No.34 (06)/Coord./Misc./DWCD/24-25/21489-92 Date: 27 MAR 2025 Copy to:-

- 1. PS to Secretary, Department of WCD, GNCTD, for kind information please.
- 2. OSD to Director, WCD, GNCTD, for kind information please.
- 3. SO to Special Director, DWCD, GNCTD, for kind information please.
- 4. Guard File.

YMPHONY)

Assistant Director (Coord.)

विभाग का नाम – महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार विभाग का पता- पहला तल, आई.एस. बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 अतारांकित प्रश्न संख्या-250

दिनांक :- 28-03-2025

प्रश्नकर्ता का नाम—माननीय विधायक श्री सोम दत्त

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
क) एक परिवार की कितनी महिलाएं महिला समृद्धि योजना का लाभ उठा सकती है;	योजना के दिशा-निर्देशों के तैयार होने के बाद, यह जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
ख) दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना की	योजना के दिशा-निर्देश प्रक्रियााधीन है।
जानकारी को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या	
प्रयास कर रही है;	
ग) योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता से	योजना के दिशा-निर्देश प्रक्रियााधीन है।
बचने के लिए सरकार ने कौन-कौन से पारदर्शी उपाय	
अपनाए है; और	He
घ) सदर बाजार विधानसभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये कब से मिलना शरू होंगे?;	जैसे ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा और योजना तथा पोर्टल के दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

र्गेन्य (प २२/५/२०४८ चंचल यादव (आई.ए.एस)

सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग